

कार्यालय अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
आदेशांक-वा0क0अधि0/लेखा/—/2024 :: लखनऊ, 31 मई-2024

-:: आदेश ::-

मुख्यालय द्वारा निर्गत परिपत्र सं0-5768/12 दिनांक 30.10.2012 में आंशिक संशोधन करते हुये प्रत्येक पीठ कार्यालयों में तैनात पेशकार पटल के अतिरिक्त अन्य वरिष्ठ सहायक द्वारा अपनी-अपनी पीठ कार्यालयों के नाशवान/अनाशवान स्टाक पंजिका तथा स्टाक का रख-रखाव करने का आदेश निर्गत किया जाता है। उक्त परिपत्र की शेष स्थिति यथावत् रहेगी।

ह0/31.05.2024

(रणधीर सिंह)

एच0जे0एस0

अध्यक्ष,

वाणिज्य कर अधिकरण

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन- वा0क0अधि0/लेखा/111/2024 :: लखनऊ, दिनांक :: उक्त ।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- समस्त सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, अन्तर्गत उत्तर प्रदेश को उक्त आदेश का समर्यान्गत पालन सुनिश्चित कराने हेतु।
- 2- ✓ वेब अधिकारी, मुख्यालय।
- 3- आदेश की अनुरक्षण पत्रावली हेतु।

आज्ञा से

निबन्धक,

वाणिज्य कर अधिकरण

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।